भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2243
उत्तर दिनांक 12/03/2026 को दिया गया

परमाणु दायित्व में परिवर्तन

2243. श्री विवेक के. तन्खा

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु, विधान को विस्तृत जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति या प्रवर समिति के समक्ष रखे बिना मौजूदा परमाणु दायित्व और विनियामक ढांचे में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि प्रचालकों अथवा आपूर्तिकर्ताओं की दायित्व सीमा को कम किया जाता है, तो सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा दीर्घकालिक परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा;

(ग) एक स्वतंत्र परमाणु सुरक्षा विनियामक स्थापित न करने का क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी का विस्तार करते समय किसी परमाणु दुर्घटना की स्थिति में नागरिकों और करदाताओं को वित्तीय तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से सुरक्षित रखने का विचार रखती है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) शांति अधिनियम का मसौदा विधायी प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किया गया जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श तथा विषय-विशेषज्ञों के साथ चर्चा शामिल थी।

(ख) शांति अधिनियम भारत की नाभिकीय दायित्व व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय दायित्व व्यवस्था के अनुरूप बनाता है। नाभिकीय संस्थापना के प्रकार के आधार पर नाभिकीय क्षति के लिए प्रचालक के दायित्व को श्रेणीबद्ध किया गया है। यह अधिनियम एक ऐसे भविष्य की नींव रखता है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा भारत के विकास का आधार बनेगी। साथ ही यह अधिनियम सार्वजनिक संरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

(ग) भारत में असैन्य नाभिकीय सुविधाओं की संरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केवल परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की है। एईआरबी को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए, शांति अधिनियम एईआरबी

को संरक्षा निरीक्षण कार्य करने के लिए अधिनियम के माध्यम से एक नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इससे देश में नाभिकीय और विकिरण सुरक्षा के विनियमन के लिए कानूनी ढांचा और सुदृढ़ बनेगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रचालन अनुभव और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के आधार पर संरक्षा के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास जारी रहेगा। एईआरबी निरीक्षकों को लाइसेंस प्राप्त सुविधाओं में अनुपालन सत्यापित करने हेतु नियमित निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है। अनुपालन न होने की स्थिति में, एईआरबी सुधारात्मक सिफारिशें और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। गंभीर मामलों में, एईआरबी को प्रचालन लाइसेंस को निलंबित या निरस्त करने का भी अधिकार प्राप्त है।

(घ) नाभिकीय विद्युत संयंत्र के प्रचालक को शांति अधिनियम के तहत नाभिकीय घटना की स्थिति में नाभिकीय क्षति के लिए शीघ्र मुआवजा देने का दायित्व सौंपा गया है। प्रचालक नाभिकीय क्षति पीड़ितों को मुआवजों के भुगतान के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा या बीमा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। नाभिकीय घटना की स्थिति में प्रचालक द्वारा भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि नाभिकीय सुविधा के प्रकार पर आधारित होगी जिसका प्रावधान शांति अधिनियम की अनुसूची में भी किया गया है।

*****